

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय )  
**GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**  
(A Central University established by the Central University Act, 2009 No. 25 of 2009  
Web Site-www ggu. Ac. In,ph. No. 260021, Fax No. 07752-260148,154

क्रमांक 807/अका./2013


बिलासपुर, दिनांक 17/10/2013

**:: अधिसूचना ::**

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.02.2013 में विषय क्रमांक SA-C-No.7 में लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, से प्राप्त प्रादर्श अध्यादेशों (Model Ordinances) को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार करते हुए अंगीकृत किया जाता है।

उक्त सभी अध्यादेश (Model Ordinances) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 के क्रमांक 25) के परिनियम-37 की कंडिका 5 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय में लागू किये जाते हैं।

आदेशानुसार,


  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ.क्र. 808 अका/अध्यादेश/2013

बिलासपुर, दिनांक 17/10/2013

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलपति/सम-कुलपति जी के सचिव/निज सहायक को माननीय कुलपति/सम-कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कक्ष अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. कुलानुशासक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. परीक्षा नियंत्रक/उप-कुलसचिव, परीक्षा/प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. विभागाध्यक्ष, संगणक विज्ञान की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित, ताकि आवश्यकतानुसार इसकी प्रति संबंधितगण प्राप्त कर सकें।
10. कार्यालय प्रति।

  
सहायक कुलसचिव (अकादमी)